न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील भरण पोषण संख्या 08/21   **सन् 2021**

GCMS NO-2021/53

बउनवानीः–1. योगेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री रामजीलाल सोनी तहसील गंगापुर सिटी जिला,स0मा0
2. खेमचन्द पुत्र श्री रामजीलाल सोनी तहसील गंगापुर सिटी जिला,स0मा0
3. गिरीश पुत्र श्री रामजीलाल सोनी तहसील गंगापुर सिटी जिला,स0मा0
4. निरंजन सोनी पुत्र श्री रामजीलाल सोनी तहसील गंगापुर सिटी जिला,स0मा0
समस्त निवासी गुर्जर मोहल्ला वार्ड नम्बर 8 कल्याणजी का गेट, गंगापुर सिटी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र स्व0 रामहेत सोनी निवासी गुर्जर मोहल्ला वार्ड नम्बर 8 कल्याण जी का गेट गंगापुर सिटी तह0गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 06/2020 मे पारित आदेश दिनांक 17.2.2021 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम,2007)

उपस्थितः– 1. श्री प्रशान्त गुप्ता   वकील अपीलान्ट
2. श्री राजूलाल सैनी   वकील रेस्पो.

–: निर्णय :–   **दिनांक 30.11.2021**

अपील अपीलान्ट ने उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 06/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 17.2.2021 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी रामजीलाल द्वारा दिनांक 4.1.2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 व 5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण एवं कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत गलत तथ्यों के आधार पर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय प्रस्तुत किया था जिसपर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का एकतरफा विवेचन करते हुए अप्रार्थी को अपीलान्ट द्वारा प्रत्येक को 2000–2000/–रू प्रतिमाह अदा करने के आदेश दिये है जो न्यायोचित नही है। यह तर्क भी दिया अप्रार्थी के गलत शोक (जुए व सटटे की लत) की वजह से बाजार से 11 लाख रूपये उधार ले लिये थे जिनको अपीलान्टगण ने मिलकर चुकाया है अप्रार्थी जगह जगह पर दुकान किराये पर ले लेता है तथा दुकान को दिखाकर बाजार के लोगो से रकम उधार लेकर जुए सटटे मे लगा देता है। तथा अपीलान्ट के विरूद्ध आये दिन थाने पर जाकर झूंठी शिकायते करता रहता है जिसके अपीलान्टस का गुजारा चलाना भी दुभर हो गया था एवं अपीलान्ट की मनोदशा खराब हो रही थी। अप्रार्थी [illegible] किसी भी अपीलान्ट के पास रह सकते है तथ वहॉ रहकर अपना जीवन [illegible] सकता है। [illegible] भी तर्क दिया कि अप्रार्थी को 750/–रू. वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है लेकिन अप्रार्थी [illegible] पुत्री जिसके यहॉ खाना खाना बताता है उस पुत्री को भी कभी भी खाने के एक रूपये भी नही देता है इस[illegible]अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध हो[illegible] कारण खारिज फरम[illegible] बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रेस्पो. द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी उभय पक्ष एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 2006 मे अपने पुस्तैनी गांव से चारो पुत्रो को गंगापुर लेकर आया और इनको सोने चांदी का काम सिखाया तथा इनकी एवं चार पुत्रियों की शादी की तथा गुर्जर मोहल्ले मे मकान खरीदा किन्तु अब चारो पुत्र अब रेस्पो. से बदल गये है । रेस्पो. की पत्नि का 1990 मे देहान्त हो जाने के उपरान्त पत्नि के जेवर बेचकर चारो पुत्रों को दुकान खुलवा दी । अप्रेल 2018 में रेस्पो की निजी दुकान का ताला तोडकर चारो पुत्र द्वारा सोने चांदी का सामान औजार वगै. ले गये जब रेस्पो. की दुकान ही लूट ली गयी तो भरण पोषण कहा से करता। उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 8000/–रू प्रतिमाह मुझ रेस्पो. को दिलवाने बाबत आदेश पारित किया है। वर्तमान में अपीलान्टगण के पास पांच मकान लगभग 2 करोड कीमत के तथा दो दुकाने लगभग 80 लाख कीमत तथा 4.00 किलो चांदी लगभग 2.68 करोड की चारो पुत्रो के पास है फिर भी खर्चा देने मे कोताही कर रहे है तथा रेस्पो. वर्तमान मे किराये के मकान मे रह रहा है जिसका वर्तमान किराया 4000/–रू प्रतिमाह है तथा 4000/–रू खाने पर खर्च करता है इसके अतिरिक्त रेस्पो. की दवाई का खर्चा अलग से है। इसलिए रेस्पो. को तीन–तीन हजार रूपये की राशि बतौर गुजारा भत्ता अपीलान्टगण से दिलवाये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं स्वंय रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पो. को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. पर लगाये गये आरोप यथा जुए सटटे आदि की लत होने एवं झूँठें मुकदमे करने बाबत कोई युक्तिसंगत दस्तावेज यथा एफआईआर/निर्णय की प्रति इत्यादि प्रस्तुत नही की गयी है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेण्ट के भरण पोषण का दायित्व अपीलान्टगण का है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के भरण पोषण हेतु बहुत ही सामान्य राशि 2000/–रू –2000/–रू प्रति पुत्र के हिसाब से चारो पुत्रों से कुल 8000/– प्रतिमाह निर्धारित की गयी है इससे कम राशि भरण पोषण हेतु दिया जाना न्याय संगत नही है तथा उक्त राशि का भुगतान अपीलान्ट द्वारा नियमित रूप से रेस्पो. को किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:56:06 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन) 6/1/22
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर